आवेदन प्रक्रिया

1. कृपया आवेदन संबंधित मंडल (जबलपुर/भोपाल/कोटा) के मुख्य जन सूचना अधिकारी (CPIO), पश्चिम मध्य रेल, आर.टी.आई प्रकोष्ठ, मंडल रेल कार्यालय को सम्बोधित करें।

2. आर.टी.आई उद्देश्य हेतु पश्चिम मध्य रेल के मंडल (जबलपुर/भोपाल/कोटा) का कोष लेखा ''वरिष्ठ मंडल वित प्रबंधक'' (जबलपुर/भोपाल/कोटा मंडल) के नाम से उपलब्ध है, किसी अन्य नाम को देय फीस स्वीकार्य नहीं होगा।

3. आर.टी.आई की आरभिक फीस ₹ 10/- है, आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा–6 के उपधारा (i) क तहत जो निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से भेजी जा सकती है–
   i. वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक (जबलपुर/भोपाल/कोटा मंडल) के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर।
   ii. किसी प्रमुख रेलवे स्टेशन/मंडल रेलवे मुख्यालय/जोनल रेलवे मुख्यालय में जमा किए गय ₹ 10/- के प्रमाण स्वरूप नकदी पावती की मूलप्रति।

4. सूचना प्राप्त करने में विलंम्ब से बचने हेतु एक आवेदन में केवल एक ही विभाग से सम्बंधित मदो की जानकारी मांगे।

5. किसी विशिष्ट सूचना को मांगने हेतु आवेदक को आदेश संख्या एवं फाइल संख्या, यदि उक्त को जानकारी आवेदक के पास हो तो आवश्यक रूप से प्रदान करें तथा यदि हो तो पिछला संदर्भ/प्रतिलिपी भेजें। यह सम्बधित निदेशालय में सूचना पता करने का आसान एवं तीव्रतर तरीका है।